

International Journal of Arts, Commerce, Science and Technology

Volume 2 | Issue 10, October 2026, pp. 1-8

ISSN (Online): 3108-2998

Homepage: <https://ijacst.com>



Title: महात्मा गांधी का ग्राम दृष्टिकोण और समकालीन नीतियों पर उसका प्रभाव
Author(s): कुसुम¹, डॉ. अरुण कुमार², डॉ. संजय कुमार अग्रवाल³
Affiliation(s): ¹ शोधकर्ता, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, राजस्थान
² असिस्टेंट प्रोफेसर, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, राजस्थान
³ असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड
DOI: <https://doi.org/10.65919/ijacst.2026.v2i10001>
History: Received: 12 August 2026, Accepted: 22 September 2026, Published: 10 October 2026
Citation: कुसुम, & कुमार, अ., अग्रवाल, सं. कु. (2026). महात्मा गांधी का ग्राम दृष्टिकोण और समकालीन नीतियों पर उसका प्रभाव. *International Journal of Arts, Commerce, Science and Technology*, 2(10). 1-8, <https://doi.org/10.65919/ijacst.2026.v2i10001>
Copyright: © 2026 The Author(s)
Conflict of Interest: The author(s) declare no conflict of interest.
Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
Corresponding Author: कुसुम ✉
Published By: [UnivColl Publications](https://univcollpublications.com)

महात्मा गांधी का ग्राम दृष्टिकोण और समकालीन नीतियों पर उसका प्रभाव

कुसुम

शोधकर्ता, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, राजस्थान

डॉ. अरुण कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर, सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू, राजस्थान

डॉ. संजय कुमार अग्रवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राँची, झारखंड

सारांश

महात्मा गांधी का मानना था कि भारत का विकास उसके गांवों के विकास पर निर्भर करता है। उन्होंने 'ग्राम स्वराज' के विचार के ज़रिए स्थानीय स्व-शासन की वकालत की, जिसमें गांव आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक इकाइयों के तौर पर काम करते हैं। इस शोधकार्य में स्थानीय सरकारों और टिकाऊ ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका पर गांधी के विचारों के बारे में करता है। इसमें विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र, अहिंसा, समानता और सामुदायिक भागीदारी के सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। गांधी पंचायतों को ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र और प्रभावी ग्रामीण प्रशासन की नींव मानते थे। यह अध्ययन भारत में स्थानीय स्व-शासन के ऐतिहासिक विकास और गांधीवादी विचारों के साथ इसके संबंध पर भी प्रकाश डालता है। इसके अलावा, यह ग्रामीण शासन को मज़बूत करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में गांधी के नज़रिए की प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है। पेपर इस नतीजे पर पहुँचता है कि गांधी का गांव-केंद्रित शासन का मॉडल आज के भारत में टिकाऊ और भागीदारी वाले ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा बना हुआ है।

मुख्य शब्द: ग्राम स्वराज, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक नीति।

परिचय

महात्मा गांधी ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसमें असली लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर पनपता है। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी के लिए स्थानीय कस्बों और गांवों का सशक्त होना ज़रूरी है। जिससे देश की तरक्की के लिए सिर्फ राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है। गांधी का मानना था कि गांव भारतीय सभ्यता की नींव हैं। देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ग्रामीण विकास के बारे में उनकी सोच पंचायती राज या स्थानीय स्व-शासन की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई थी। गांधी का मानना था कि सारी ताकत कुछ ही लोगों या संगठनों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, इसे लोकतांत्रिक ग्राम संगठनों के ज़रिए आम लोगों में बांटा जाना चाहिए। वे गांवों को ऐसे स्वतंत्र समुदायों के रूप में देखते थे जो अपने कामकाज खुद चला सकें और पूरे देश के विकास में योगदान दे सकें। भारत का ग्रामीण प्रशासन और विकास नीतियां आज भी उनके 'ग्राम स्वराज' या गांव के स्व-शासन के आदर्श से प्रभावित हैं।

गांधीजी की राजनीतिक और सामाजिक सोच 'ग्राम स्वराज' पर आधारित थी। उनके विचार से, हर गाँव को एक पूर्ण गणराज्य की तरह काम करना चाहिए। जिसमें अपने कामकाज खुद चलाने की क्षमता हो। ऐसा गाँव अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर रहते हुए भी आस-पास के समुदायों के साथ सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रख सकता है। गांधीजी का कहना था कि ग्राम स्वराज का मतलब अलग-थलग रहना नहीं था। बल्कि, इसका मतलब था लोगों को उन फैसलों में सक्रिय रूप से शामिल होने की क्षमता देना, जिनका उनके जीवन पर असर पड़ता हो। ग्राम स्वराज व्यवस्था के तहत, गाँव वाले स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखेंगे, विकास के लक्ष्य तय करेंगे और समाज के सभी सदस्यों के लिए न्याय और कल्याण सुनिश्चित करेंगे।

गांधी का मानना था कि पंचायती राज, ग्राम स्वराज का व्यावहारिक रूप है। पंचायतें ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो लोगों को सीधे राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करने का मौका दें। उन्हें सिर्फ ऊंचे अधिकारियों के फैसलों को लागू करने के बजाय, शासन और विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना चाहिए। पंचायती राज की नींव लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार पर टिकी है। गांधी का सोचना था कि केंद्रीय संस्थाओं में सत्ता का जमावड़ा लोकतंत्र को कमज़ोर करता है और लोगों को सरकार से दूर करता है। इसके उलट, विकेंद्रीकरण जनता की भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

गांधी की सोच के अनुसार, ग्राम पंचायतें न्यायिक, प्रशासनिक और विकास से जुड़े काम करेंगी। वे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की देखरेख करेंगी, स्थानीय मुद्दों को संभालेंगी, विवाद सुलझाएंगी और समुदाय के कल्याण को आगे बढ़ाएंगी। इस व्यवस्था से यह पक्का होगा कि सरकार स्थानीय ज़रूरतों और लक्ष्यों का ध्यान रखे।

गांधी का ग्राम स्वराज और सतत ग्रामीण विकास

गांधीजी ने ग्राम पंचायतों के गठन के ज़रिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण की पुरज़ोर वकालत की। उनका पक्का मानना था कि अगर भारत में पंचायत व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से चलाया जाए, तो यह न केवल ग्रामीण इलाकों की सामाजिक और आर्थिक ताकत बढ़ा सकती है, बल्कि विदेशी हमले के खतरे के सामने देश की सुरक्षा को भी मज़बूत कर सकती है। आचार्य विनोबा भावे भी 'ग्रामदान' के ज़रिए भारतीय गांवों को सहकारी सामुदायिक आधार पर संगठित करने की तत्काल ज़रूरत पर बहुत ज़ोर देते रहे हैं। विकेंद्रीकृत लोकतंत्र या पंचायती राज के इस आदर्श को मध्ययुगीन सोच पर आधारित कोई भावुक विचार नहीं माना जाना चाहिए। 'ग्राम स्वराज' एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसान को केंद्र में रखती है, जिसमें किसी का शोषण नहीं होता, जो विकेंद्रीकृत है और जिसकी अर्थव्यवस्था सरल है। यह स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर सभी निवासियों को पूरा रोज़गार देती है और कपड़े, भोजन व जीवन की अन्य बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। बड़े पैमाने पर मशीनों पर आधारित, केंद्रीकृत और जटिल संगठन आधुनिक आर्थिक प्रणालियों की नींव हैं। ये प्रणालियाँ आत्म-भोग, तरह-तरह की इच्छाओं और अर्थशास्त्र से नैतिकता को अलग रखने की सोच पर आधारित हैं।

गांधीजी चाहते थे कि भारत में सच्ची लोकतंत्र व्यवस्था काम करे। इसलिए उन्होंने कहा था: "सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे बीस लोगों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। इसे हर गाँव के लोगों द्वारा ज़मीनी स्तर से चलाया जाना चाहिए।" 'ग्राम स्वराज' में, गाँव एक विकेंद्रीकृत छोटी राजनीतिक इकाई होगी जिसके पास पूरी शक्तियाँ होंगी, और सरकार में हर व्यक्ति की सीधी आवाज़ होगी। व्यक्ति अपनी सरकार का खुद निर्माता होता है। गाँव की सरकार एक पंचायत चलाएगी, जिसमें पाँच सदस्य

होंगे जिन्हें गाँव के वयस्क निवासी (जिनके पास तब न्यूनतम योग्यताएँ हों) हर साल चुनेंगे। इस पंचायत के पास सभी अधिकार और अधिकार-क्षेत्र होंगे। पंचायत ही विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का काम करेगी, क्योंकि इसमें सज़ा देने की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक ढांचे की नींव हमेशा से इसके ग्रामीण इलाके रहे हैं। देश में हाल के समय में तेज़ी से शहरीकरण और औद्योगिक विकास होने के बावजूद, ज्यादातर भारतीय आज भी गाँवों में रहते हैं। जहाँ खेती और छोटे स्तर के कुटीर उद्योग आय के मुख्य स्रोत हैं। स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों में इन इलाकों के विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करने पर ज़ोर दिया गया है। भारत की विकास की सोच को प्रभावित करने वाले कई दूरदर्शी लोगों में महात्मा गांधी का नाम खास तौर पर उल्लेखनीय है, क्योंकि ग्रामीण विकास को लेकर उनका नज़रिया अनोखा और व्यापक था।

भारत की 65% से ज्यादा आबादी गाँवों में रहती है, इसलिए यह मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश है। आज़ादी के बाद से, अलग-अलग सरकारों ने जीवन स्तर को बेहतर बनाने, गरीबी कम करने और समान विकास को बढ़ावा देने के मकसद से कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालाँकि, इतनी सारी नीतियों, पहलों और भारी सरकारी निवेश के बावजूद, ग्रामीण भारत आज भी बेरोज़गारी, खराब बुनियादी ढाँचे, खेती-किसानी से जुड़ी मुश्किलों और ज़रूरी सेवाओं तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानता जैसी पुरानी समस्याओं से जूझ रहा है (लेले और गोस्वामी, 2020)।

गांधीवादी दर्शन और आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास

भारत में ग्रामीण विकास को ग्रामीण उद्योगों—खासकर गाँव और कुटीर उद्योगों—के विकास और ग्रामीण इलाकों में खेती व उससे जुड़ी गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रोज़गार पैदा करने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, ताकि वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकें। ग्रामीण विकास के प्रति गांधीवादी नज़रिए को सैद्धांतिक रूप से "आदर्शवादी" माना जा सकता है। यह नैतिक सिद्धांतों को बहुत महत्व देता है और उन्हें भौतिक परिस्थितियों से ऊपर रखता है। गांधीवादियों का मानना है कि धर्म, और खासकर हिंदू ग्रंथ जैसे उपनिषद और गीता, नैतिक सिद्धांतों के स्रोत हैं।

इस मॉडल के बुनियादी मूल्य: ग्रामीण विकास के गांधीवादी मॉडल का आधार निम्नलिखित सिद्धांत और मूल्य हैं: 1. भारत के ग्रामीण इलाके बड़े शहरों में नहीं, बल्कि गाँवों में बसे हैं। 2. गाँवों में तभी फिर से जान आ सकती है जब वहाँ के लोगों का शोषण बंद हो जाए। गांधीजी शहर के लोगों द्वारा ग्रामीणों के शोषण को "हिंसा" मानते थे। 3. जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना, साथ ही सादा जीवन और उच्च विचार रखना, जिसमें दुनियावी इच्छाओं को अपनी मर्जी से कम करना शामिल है। 4. श्रम का सम्मान: अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए हर किसी को शारीरिक श्रम करना चाहिए, और जो लोग काम करते हैं, उन्हें भोजन मिलना ही चाहिए। 5. देसी (स्वदेशी) सामान, सेवाओं और संस्थानों का इस्तेमाल करना। पंचायत न्यायिक, कार्यकारी और विधायी काम करती है। यह गाँव की साफ़-सफ़ाई, स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखेगी। "अछूतों" और दूसरे गरीब लोगों की सुरक्षा और उनका उत्थान करना पंचायत की ज़िम्मेदारी होगी। स्थानीय कामकाज को गांधीवादी तरीके से चलाने के लिए गाँव संसाधन उपलब्ध कराएंगे। हर तरह के मतभेद और झगड़े गाँव के अंदर ही सुलझाए जाएंगे। साथ ही, गाँव के बाहर की अदालतों में कोई भी मामला नहीं भेजा जाएगा। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए, पंचायत ग्रामीण आबादी को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व के बारे में शिक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएगी। गाँव अपने कामकाज को चलाने के साथ-साथ किसी भी हमले से अपनी रक्षा भी कर सकेगा।

समकालीन नीति-विमर्श में ग्राम स्वराज

गांधीजी का कहना है कि हर ग्राम-गणराज्य अपनी मर्जी से इस संघ में शामिल होगा, न कि किसी दबाव में। केंद्र सरकार का काम सिर्फ़ अलग-अलग ग्राम-गणराज्यों की गतिविधियों में तालमेल बिठाना और बैंकिंग, शिक्षा, बुनियादी उद्योग, स्वास्थ्य और मुद्रा जैसे साझा हितों के मामलों की देखरेख और प्रबंधन करना होगा। नैतिक दबाव या समझाने-बुझाने के अलावा, केंद्र सरकार ग्राम-गणराज्यों पर अपने फ़ैसले थोप नहीं पाएगी। अंग्रेज़ों की आर्थिक और परिवहन प्रणालियों ने गाँवों के "गणतांत्रिक" स्वरूप को कमज़ोर कर दिया था। हालाँकि, गांधीजी ने माना कि सामंती सरदारों ने इतिहास में जुल्म और अन्याय किया था। फिर भी, "हालात बराबरी के थे।" गांधीजी का मानना था कि हाथ से सूत कातना गाँवों के कई उद्योगों में से

सिर्फ एक है, और वे उन सभी का समर्थन करते थे। यह एक मुख्य उद्योग था। उन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल देते हुए कहा, "खादी [हाथ से काता और बुना हुआ कपड़ा] गांव के सोलर सिस्टम का सूरज है।" उनका इससे क्या मतलब था? उनका मतलब था कि हाथ से सूत कातने और बुनाई करने के आधार पर ही दूसरे स्थानीय उद्योगों का पूरा इकोसिस्टम बना था। अगर कोई समुदाय अपना कपड़ा खुद बनाता था, तो उसे कपड़े सिलने के लिए दर्जी, चरखे और करघे बनाने के लिए बढ़ई और कपड़े रंगने के लिए रंगरेजों की भी ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह, सूत कातने के काम को फिर से शुरू करने से दर्जनों दूसरे खो चुके हुनर भी वापस आ जाते।

महात्मा गांधी का ग्राम दृष्टिकोण: सैद्धान्तिक एवं नीतिगत विश्लेषण

गांधीजी का आदर्श गाँव ब्रिटिश शासन से पहले के समय का है, जब भारतीय गाँव छोटे-छोटे गणतंत्र हुआ करते थे और उन पर बर्बर हमलावरों के छिटपुट हमलों का कोई असर नहीं पड़ता था। ब्रिटिश शासन ने इन समुदायों की गणतंत्र वाली पहचान को नुकसान पहुँचाया। इसलिए, बिना किसी शोषण वाले उस ऐतिहासिक गणतंत्रवादी गाँव को गांधीजी की ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना में एक मॉडल इकाई के तौर पर इस्तेमाल किया गया। 1942 में गांधीजी ने कहा कि 'ग्राम स्वराज' ही उनका लक्ष्य है।

"ग्राम स्वराज के बारे में मेरा आइडिया यह है कि यह एक पूरा रिपब्लिक हो, जो अपनी ज़रूरी ज़रूरतों के लिए अपने पड़ोसियों से आज़ाद हो और कई दूसरी ज़रूरतों के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हो, जिसमें निर्भरता एक ज़रूरत हो। इस तरह हर गाँव की पहली चिंता अपनी खाने की फ़सल और कपड़े के लिए कपास उगाना होगी। इसमें अपने जानवरों के लिए एक रिज़र्व, बड़ों और बच्चों के लिए मनोरंजन और खेलने की जगह हो सकती है। फिर अगर ज़्यादा ज़मीन होगी, तो यह काम की पैसे वाली फ़सलें उगाएगा, इस तरह गंगा, तंबाकू, अफ़ीम और इल्ली को छोड़कर। गाँव में एक थिएटर, स्कूल और पब्लिक हॉल होगा। इसके अपने वॉटर वर्क्स होंगे जो साफ़ पानी की सप्लाई पक्का करेंगे।"

आत्म-निर्भरता के बारे में गांधीजी की सोच न तो सीमित थी और न ही उसमें अहंकार या स्वार्थ की भावना थी। उन्होंने देखा कि लोगों को कुछ चीज़ें समुदाय के बाहर से मंगवानी पड़ती थीं क्योंकि वे उन्हें वहीं नहीं बना पाते थे। गांधीजी चाहते थे कि भारतीय गाँव आत्म-निर्भर बनें। उन्होंने आत्म-निर्भरता को जीवन के एक बुनियादी सिद्धांत के तौर पर बढ़ावा दिया, क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने से शोषण होता है, और यही हिंसा की मुख्य वजह है। आत्म-निर्भरता की कमी के कारण ही अमीर गरीबों का, शहर गाँवों का और विकसित देश अविकसित देशों का फायदा उठाते हैं।

पंचायत न्यायिक, कार्यकारी और विधायी काम करती है। यह गाँव की साफ़-सफ़ाई, स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान रखेगी। "अछूतों" और दूसरे गरीब लोगों की सुरक्षा और उनका उत्थान करना पंचायत की ज़िम्मेदारी होगी। स्थानीय कामकाज को गांधीवादी तरीके से चलाने के लिए गाँव संसाधन उपलब्ध कराएंगे।

हर तरह के मतभेद और झगड़े गाँव के अंदर ही सुलझाए जाएंगे। साथ ही, कोई भी मामला गाँव के बाहर की अदालतों में नहीं भेजा जाना चाहिए। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए, पंचायत ग्रामीण आबादी को नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व के बारे में शिक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएगी।

आर्थिक आत्मनिर्भरता और कुटीर उद्योग

गांधीजी एक स्वतंत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। गाँव के आत्मनिर्भर होने का मतलब है कि गाँवों को अपने निवासियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। गाँवों में बनी अतिरिक्त चीज़ों का आदान-प्रदान उन चीज़ों के बदले किया जाना चाहिए जिनका उत्पादन वहाँ नहीं हो सकता। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि गाँव अपना सामान दूर के शहरों और महानगरों में भेजेंगे। संक्षेप में कहें तो, सबसे पहले गाँवों की ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए, और उसके बाद आस-पड़ोस, ज़िलों और प्रांतों की। गांधीजी के लिए अर्थशास्त्र जीवन-शैली का ही एक हिस्सा है। उनके विचारों में कुछ बुनियादी सिद्धांत काम करते हैं। जीवन के सिर्फ़ दो सिद्धांत—सत्य और अहिंसा—ही गांधीजी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी चीज़ का इन "कसौटियों" पर सफल विश्लेषण नहीं किया जा सकता, तो उसे गांधीवादी नहीं माना जा सकता। अगर किसी योजना में झूठ बोलने या हिंसा भड़काने की बात हो, तो हम उसे ग़ैर-गांधीवादी मान सकते हैं।

गांधीजी का ज़ोर इस बात पर था कि वही भोजन और सामान इस्तेमाल किया जाए जो आस-पास ही उगाया या बनाया गया हो। आज की आधुनिक दुनिया में भी यह बात बहुत मायने रखती है। स्थानीय स्तर पर बनी चीज़ों के इस्तेमाल से उत्पादकों के लिए स्थानीय बाज़ार सुरक्षित रहता है, कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होती है, और परिवहन में कम ईंधन का इस्तेमाल होने से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है।

गांधी का कहना है कि "आधुनिक सभ्यता" - जिसकी नकल करने की कोशिश बड़े शहर पश्चिमी देशों से करते हैं - शायद लंबे समय तक न टिक पाए, क्योंकि यह स्थानीय संसाधनों पर आधारित नहीं है।

गांधीवादी विचारधारा के अनुसार, "आर्थिक प्रगति का मतलब है उन लोगों की संख्या में कमी आना जो मानते हैं कि वे जीवन-स्तर के स्वीकार्य न्यूनतम मानक से नीचे जी रहे हैं।" यह बात सही है क्योंकि उनकी राय में, पूंजीवाद गरीब लोगों की संख्या और उनकी असीमित ज़रूरतों को बढ़ाता है। इसलिए गांधी का मानना था कि गरीबी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ज़रूरतों को कम करना है, न कि सिर्फ़ प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, जिससे नाखुशी ही बढ़ती। उनका पक्का विश्वास था कि "अगर गाँव खत्म हो गए, तो भारत भी खत्म हो जाएगा।"

गांधीजी गाँव के स्तर पर ऐसे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर ज़ोर देते थे जो स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल करके वहाँ के लोगों को रोज़गार दे सकें। हाथ से अनाज पीसने, तेल निकालने, साबुन बनाने और कागज़ बनाने जैसे बुनियादी उद्योगों के बिना गाँव के उद्योग अधूरे रहेंगे। पशुपालन, डेयरी, खेती और खाद बनाना गाँव के अन्य उद्योग हैं। ज़्यादातर शहरी उद्योग ग्रामीण इलाकों में तैयार कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। हालाँकि, इससे किसानों को उतनी मदद नहीं मिल सकती जितनी उम्मीद की जाती है। उदाहरण के लिए, गाँव वाले गन्ना उगाते हैं, जबकि चीनी मिलों के मालिक कुछ अमीर लोग होते हैं। गांधीजी ने ग्रामीण विकास के लिए ट्रस्टीशिप और छोटे उद्योगों के महत्व पर ज़ोर दिया। मौजूदा हालात में भारत के गाँवों में नई जान फूँकने की ज़रूरत है।

गांधीजी "सभी के लिए बुनियादी शिक्षा और वयस्क शिक्षा" के ज़बरदस्त समर्थक थे। उनके अनुसार, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो लोगों को सही और गलत के बीच फ़र्क करना सिखाती है। उनका मानना था कि "नई तालीम" का मतलब है कि शिक्षा व्यावहारिक प्रशिक्षण के ज़रिए दी जानी चाहिए और इसमें जीवन के चार पहलुओं—शिल्प, साहित्य, स्वच्छता और कला—को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि शिल्प को शिक्षा प्रणाली से अलग रखने के बजाय, इसे उद्योग के एक माध्यम के तौर पर देखा जाना चाहिए। आम लोगों को रोज़ी-रोटी कमाने में मदद करने के लिए, उन्होंने कौशल और नौकरी-उन्मुख शिक्षा पर बहुत ज़ोर दिया।

विकेंद्रीकरण और पंचायत व्यवस्था

इसमें कोई शक नहीं कि भारत में पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से ही मौजूद रही है। हालाँकि 'पंचायत' नाम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नहीं होता था, लेकिन वैदिक काल में भी यह व्यवस्था थी। उस समय हर किसी की 'जनपद' में हिस्सेदारी होती थी। मशहूर कवि वाल्मीकि ने भी अपने महाकाव्य में 'जनपद' शब्द का इस्तेमाल किया है। महाभारत में ग्रामसभा (गाँव की समिति) का ज़िक्र मिलता है। शुक्रनीतिसार के अनुसार, गाँव की पंचायतें कभी चुने हुए लोगों की संस्थाएँ हुआ करती थीं। गाँव वाले पाँच मुखिया चुनते थे और उन पर भरोसा करते थे। उनका मानना था कि उनका न्याय ही ईश्वर का न्याय है। हर समुदाय स्वतंत्र था। वे इसे पंचायती राज या ग्राम स्वराज कहते हैं। उनकी सोच के अनुसार, हर गाँव एक छोटा गणतंत्र है जो अपने कामकाज खुद चलाने के लिए पूरी तरह आज़ाद है, अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर है, और बड़े भौगोलिक इलाकों से स्वाभाविक और बिना किसी ऊँच-नीच के जुड़ा हुआ है। गांधीजी ने जिसे "सच्चा लोकतंत्र" कहा, उसे बताने के लिए उन्होंने "स्वराज" शब्द को ज़्यादा पसंद किया। आज़ादी ही इस लोकतंत्र की नींव है। इससे ऐसे मौके बन सकते हैं जिनमें लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आज़ाद हो सकें।

महात्मा गांधी ने पंचायत राज का समर्थन किया था, जो शासन की एक ऐसी विकेंद्रीकृत व्यवस्था है जिसमें हर समुदाय अपने कामकाज की जिम्मेदारी खुद संभालता है। इस विचार को 'ग्राम स्वराज' या 'गाँव का स्व-शासन' नाम दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें: भारत सरकार ने जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। NDC ने

जनवरी 1958 में समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिससे देश भर में पंचायत राज संस्थाओं के गठन की नींव पड़ी। समिति ने "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" की रणनीति को बढ़ावा दिया, जिसे बाद में पंचायत राज के नाम से जाना गया।

भारत में ब्रिटिश शासन के आने से पंचायत व्यवस्था बाधित हो गई। अंग्रेजों ने सत्ता के केंद्रीकरण की नीति अपनाई। हालाँकि, लॉर्ड रिपन की उदारवादी नीतियों ने इन संस्थाओं में फिर से जान डाल दी। 1882 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाए गए और 1919 के मॉटफोर्ड सुधारों में गांवों के विकास के लिए रॉयल कमीशन के सुझावों को शामिल किया गया। स्व-शासन को एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। ग्राम पंचायतों पर विशेष ध्यान दिया गया। 1919 की "द्वैध शासन" (Dyarchy) व्यवस्था के तहत स्थानीय स्व-शासन को लोकप्रिय मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। नतीजतन, पंचायतों का विकास होने लगा।

1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की शुरुआत की, जिसने ओडिशा के ग्रामीण इलाकों के राजनीतिक और आर्थिक माहौल को काफी हद तक बदल दिया है। पंचायती राज संस्थाएं (PRIs) सहभागी लोकतंत्र की नींव हैं; ये संस्थाएं स्थानीय लोगों को विकास परियोजनाओं को आयोजित करने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार देती हैं। ओडिशा में सामाजिक समावेश, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और ग्रामीण बदलाव के लिए PRI अब बहुत ज़रूरी साधन बन गई हैं, खासकर तब जब महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की ज़रूरतों को पूरा करने की बात आती है। हालाँकि, ओडिशा में पंचायती राज की राजनीति स्थानीय स्वायत्तता, पार्टी की राजनीति और राज्य के नियंत्रण के बीच एक जटिल तालमेल को दिखाती है। भले ही संविधान के तहत सहभागी निर्णय-प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं और पल्ली सभाओं का होना ज़रूरी है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति, चुने हुए प्रतिनिधियों की क्षमता और समुदाय की भागीदारी पर निर्भर करती है।

इस तरह, हम पूरे भरोसे और सही ढंग से कह सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का मुख्य मकसद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को सही रूप देना था; हालाँकि, कुछ कमियों के कारण यह अपने लक्ष्य और मकसद को हासिल नहीं कर पाई। यह बात पंचायती राज के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अलग-अलग पहलुओं के बारे में एक त्वरित और गहरी स्टडी और एनालिसिस करने के बाद कही जा रही है। इसलिए, यह बहुत ज़रूरी है कि इन कमियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि भारत के लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज के गांधीजी के विज़न को पूरी तरह से साकार होते देख सकें।

समकालीन ग्रामीण नीतियों में गांधीवादी प्रभाव

ISSN (Online): 3108-2998

साल 2000 में, नई सदी की शुरुआत में, दुनिया के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र ने कुछ वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने पर सहमति जताई। तय किए गए MDG (सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों) में गरीबी और भुखमरी मिटाना, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण, बच्चों की मृत्यु दर कम करना और माताओं की सेहत सुधारना, HIV/AIDS से लड़ना, पर्यावरण को टिकाऊ बनाए रखना और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बनाना शामिल था। यह सहनशीलता और एकता को बढ़ावा देता है और यह घोषित करता है कि हर व्यक्ति को समानता, आज़ादी, सम्मान और जीवन-यापन के एक न्यूनतम स्तर का अधिकार है, जिसमें हिंसा और भुखमरी से मुक्ति भी शामिल है।

तब से, गांधीजी ने इन MDGs (सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों) को प्राथमिकता दी है, क्योंकि वे एक सच्चे दूरदर्शी थे। उनकी सोच और दर्शन ही MDGs को हासिल करने का रास्ता दिखा सकते हैं। चूंकि भारत गांवों में बसता है, इसलिए इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके गरीबी को खत्म करना शामिल है। उन्होंने बड़े पैमाने पर शिक्षा की वकालत की, अहिंसा और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, और सांप्रदायिकता और छुआछूत जैसी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो देश की एकता और एकजुटता को कमजोर करती हैं।

गांधीजी अक्सर कहते थे, "गाँवों की ओर लौटो।" उनके आलोचक, जो उन्हें कभी समझ नहीं पाए, इसे तरक्की की घड़ी को पीछे घुमाने जैसा मानते थे। उनका मकसद यह नहीं था कि शहर के लोग गाँवों में जाकर बसें; बल्कि वे चाहते थे कि गाँवों के युवा वहीं रहें। स्थानीय और कुशल मानव संसाधनों के बिना टिकाऊ आर्थिक विकास मुमकिन नहीं है। युवाओं को अपने संस्थानों के आस-पास के समुदायों में छुट्टियाँ बितानी चाहिए, और जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें गाँवों को फिर से बसाने में मदद करने के लिए वहाँ बसने पर विचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

गांधीजी का गांवों को फिर से बसाने का प्लान आज की कई समस्याओं का संकेत देता था, जैसे सामाजिक बिखराव, बेरोजगारी, गांवों से शहरों की ओर पलायन, जलवायु परिवर्तन और सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम से पैदा होने वाला अलगाव। 'ग्राम स्वराज' का गांधीवादी विचार, जो पूरी तरह से इंसानी विकास पर केंद्रित था, अब और भी अहम होता जा रहा है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि गांधीजी के बताए तरीके से ठीक-ठीक 'ग्राम स्वराज' को लागू करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन उनके मुख्य सिद्धांत आज भी बहुत कीमती हैं: गांवों और शहरों के बीच की खाई को पाटना, सार्थक रोजगार पैदा करना, पर्यावरण की देखभाल, फैसले लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण और विकास के केंद्र में इंसानी गरिमा को रखना। जब 'ग्राम स्वराज' पूरी क्षमता से काम करेगा, तो यह बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा— भारत की ओर से एक तोहफा।

2 अक्टूबर, 1959 को बलवंतराय मेहता स्टडी टीम ने पंचायत राज लागू करने का सुझाव दिया था। इसे लागू हुए 60 साल बीत जाने के बाद भी गांधीजी का 'ग्राम स्वराज' का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यह निष्कर्ष पंचायत राज मंत्रालय की 1996 की स्टेटस रिपोर्ट और अलग-अलग राज्यों में पंचायत राज के कामकाज पर कई जाने-माने शिक्षाविदों की रिसर्च पर आधारित है। 1994 में कई राज्यों ने 73वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी। इसलिए, जो लोग आज भी भारत में लोगों को सशक्त बनाने और भागीदारी वाली डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए 'ग्राम स्वराज' को एक अहम लक्ष्य मानते हैं, उन्हें इस दिशा में खास, सोच-समझकर और लगातार कोशिशें करने की ज़रूरत है।

नए भारत को आकार देने में महात्मा गांधी की भूमिका और प्रभाव निर्विवाद है। मेरी राय में, वे इक्कीसवीं सदी में भी उतने ही प्रासंगिक व्यक्ति और दार्शनिक हैं, जितने पिछली सदी में थे। उदाहरण के लिए, आज की इस वैश्वीकृत और तकनीक-प्रधान दुनिया में, गांधीजी द्वारा बताए गए 'सर्व धर्म सम भाव' (यानी सभी धर्म समान हैं) और 'सर्व धर्म सदा भाव' (यानी सभी धर्मों के प्रति सद्भावना) के विचार, सद्भाव और करुणा का माहौल बनाए रखने और उनके 'वसुधैव कुटुंबकम्' के विचार को साकार करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

महात्मा गांधी ने 'ग्राम स्वराज' को सच्चे लोकतंत्र की नींव माना था, जहाँ गाँव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की आत्मनिर्भर इकाइयों के तौर पर काम करते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का ढांचा बहुत ज़रूरी था; गांधीजी इन्हें सिर्फ़ प्रशासनिक संस्थाओं के बजाय लोगों की भागीदारी और सशक्तिकरण के ज़रिया मानते थे। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ज़मीनी स्तर के प्रशासन में शिक्षा को सामाजिक बदलाव के एक साधन के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। इसमें साक्षरता, नैतिक विकास, करियर से जुड़े कौशल और सच्चाई, अहिंसा व आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों को अपनाने पर ज़ोर दिया गया। गांधीवादी विचारधारा के अनुसार, 'नई तालीम' या बुनियादी शिक्षा को पक्का करने में पंचायतों की अहम भूमिका थी। यह शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षा को उत्पादक गतिविधियों और समुदाय की ज़रूरतों से जोड़ती है।

Author's Declaration & Publication Consent:

The author(s) declare that the manuscript is original, accurate to the best of their knowledge, and does not knowingly infringe any copyright, privacy, or other third-party rights. All necessary permissions, ethical approvals, disclosures, and consents, where applicable, have been obtained. The author(s) accept responsibility for the content, data, interpretations, conclusions, authorship, and compliance with applicable research and publication ethics. Any conflicts of interest and funding sources have been appropriately disclosed. The author(s) authorize the Journal and Publisher to publish and disseminate the article under the Creative Commons AttributionNoncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).

सन्दर्भ

1. श्रीमन् नारायण, गांधीवादी अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1970
2. रश्मि शर्मा, गांधीवादी अर्थशास्त्र : एक मानवीय दृष्टिकोण, डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 1997
3. नरेन्द्र पाणि, समावेशी अर्थशास्त्र : गांधीवादी पद्धति और समकालीन नीति, सेज पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 2002

4. मार्क जे. लिंडली, जे. सी. कुमारप्पा : गांधी के अर्थशास्त्री, पॉपुलर प्रकाशन, मुंबई, 2007
5. एम. मधुमति, "ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, खंड 1, अंक 2, 2011, पृ. 59-70
6. रवि बी. महात्मा, "भारत के विकास में लघु उद्योग के संवर्धन के संदर्भ में गांधी," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, खंड 2, अंक 2, 2012, पृ. 660-668
7. अनामिका दिनेश एवं आर्या देवी आर., "ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण : गांधी स्मारक ग्राम सेवा केंद्रम् (GSGSK) द्वारा सतत कृषि का अध्ययन," इंटरनेशनल रिपोर्ट, केरल, 2017, पृ. 1-140
8. एम. एल. सोमवंशी, "ग्रामीण विकास पर महात्मा गांधी के विचार," इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी मल्टीलिंगुअल जर्नल ऑफ कंटेम्परेरी रिसर्च, खंड 6, अंक 1, 2019, पृ. 86-87
9. एस. जोशी, "गांधीवादी आर्थिक चिंतन और ग्रामीण विकास में इसकी प्रासंगिकता," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, खंड 5, अंक 12, अहमदाबाद, गुजरात, 2020

Publisher's Note: The statements, opinions, findings, interpretations, and conclusions expressed in this article are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the Journal, its Editors, Editorial Board, reviewers, or Publisher. Responsibility for the accuracy, integrity, and scholarly content of the article rests primarily with the author(s). The Journal, Editors, and Publisher exercise reasonable editorial and ethical oversight in accordance with the Journal's established policies. However, to the extent permitted by applicable law, they shall not be responsible for any consequences arising from the use, application, or interpretation of the information contained in the article. The Publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

